Seventeenth Loksabha

>

Title: Request to increase the compensation amount for MANREGA works from Twenty Five Thousand to One Lakh for accidental death.

श्री नरेन्द्र कुमार (झुन्झुनू): **धन्यवाद अध्यक्ष महोदय ।** महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची -2 के पैरा 26 के अंतर्गत प्रावधान किया गया है कि इस स्कीम के अधीन नियोजित किसी व्यक्ति की नियोजन से उद्‌भूत दुर्घटना, उसके क्रम में मृत्यु या वह स्थायी रुप से निःशक्त हो जाता है तो कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा उसे 25000 रुपये की दर पर या ऐसी रकम जो केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है, अनुग्रहपूर्वक संदाय किया जायेगा और यह रकम यथास्थिति मृत या निःशक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को संदत की जाएगी ।

जब महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम लागू हुआ, तब से आज की तिथि तक मृत या निःशक्त व्यक्ति के विधिक वारिसों को पच्चीस हजार रुपये की दर से ही अनुग्रह राशि का भुगतान किया जाता है, जो वर्तमान परिस्थितियों में बहुत कम है । अतः इस अनुग्रह राशि को पच्चीस हजार से बढ़ाकर कम से कम एक लाख रुपया किया जाए ।